न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 179/2016

1 बबीता देवी पत्नी पवन कुमार शर्मा।
2 चित्रा देवी पुत्री पवन कुमार शर्मा
3 हिमांशु पुत्र पवन कुमार शर्मा समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता बबीता देवी पत्नी पवन कुमार शर्मा।
4 उमेश कुमार पुत्र राधेश्याम।
5 गीता देवी पत्नी राधेश्याम।
6 उषा देवी पुत्री राधेश्याम।
7 कृष्णा देवी पुत्री राधेश्याम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण वार्ड नम्बर 16 मोहल्ला बल्लुपुरा खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती बनारसी देवी पत्नी हरला उर्फ हरदयाल।
2/1 अशोक कुमार पुत्र मालीराम।
2/2 मनोज कुमार पुत्र मालीराम।
2/3 पप्पू पुत्र मालीराम।
2/4 प्रेम देवी पुत्री मालीराम।
2/5 सीमा पुत्री मालीराम।
2/6 बीना देवी पुत्री मालीराम।
2/7 मुन्नी देवी पुत्री मालीराम।
2/8 नामालूम पत्नी मालीराम।
3 मदनलाल पुत्र हरला उर्फ हरदयाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 पूर्णमल पुत्र हरला उर्फ हरदयाल।
5 शंकरलाल पुत्र हरला उर्फ हरदयाल।
6 बाबुलाल पुत्र हरला उर्फ हरदयाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ढ़ाणी गुमानसिंह तहसील खण्डेला जिला सीकर।
7/1 कान्ता शर्मा पुत्री मन्नी देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण हाल निवासी आर्य नगर विस्तार पुष्पांजली गार्डन के सामने मुरलीपुरा जयपुर।
7/2 शशीकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 कौशल्या देवी पत्नी विजयकान्त पुत्री हरला उर्फ हरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी खण्डेला जिला सीकर।
9 नरबदी पत्नी नामालूम पुत्री हरला उर्फ हरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी खण्डेला जिला सीकर।
10 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला पीठासीन अधिकारी श्री जयवीर सिंह आर.ए.एस. वाद संख्या 358/1999 बी.टी. नम्बर 454/13 बउनवानी राधेश्याम बनाम बनारसी देवी आदि बनाम श्रीमती बनारसी देवी आदि दिनांक 02.11.2016

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–18-7-23

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 358/1999 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस के पूर्वज राधेश्याम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1 से 2/8 के पूर्वज मालीराम, 4 से 6, 7/1, 7/2 की पूर्वजा मन्नी देवी तथा 8 लगायत 10 के खिलाफ योग्य अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) श्रीमाधोपुर के यहां अपीलाधीन वाद बाबत इस्तकार हक, स्थाई निषेधाज्ञा दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किय गया, जो कालांतर में योग्य अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला के यहां विचारित हुआ और वाद में विचारण योग्य अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला द्वारा अपने निर्णय व डिकी दिनांक 02.11.2016 के माध्यम से अपीलाधीन वाद खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांटस के वाद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमियों खसरा नम्बर 249, 250, 255, 256, 257, 258 कुल किता 6 कुल रकबा 3.73 हैक्टर पुराना खसरा नम्बर 123, 124, 127 कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु उसके नाम विवादित भूमियों का रिकार्ड गलत बना हुआ है। उक्त भूमियों के बाबत दावा संख्या 203 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांकित 22.03.1979 के माध्यम से विवादित भूमियों के बाबत अपीलांटस के पूर्वज राधेश्याम को उपरोक्त भूमियों का काबिज, खातेदार, काश्तकार उदघोषित किया जा चुका है। योग्य अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलाधीन

अति. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 8 नियम 5 सीपीसी में वर्णित कानूनी प्रावधानों को नजर अंदाज किया गया है। क्योंकि जब वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों का कोई खण्डन ही नहीं हुआ तो योग्य अधिनस्थ न्यायालय को वाद पत्र को स्वीकार करना चाहिये था। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन वाद के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया गया है, जिसका कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। विवादित भूमियों की खसरा गिरदावरियों से भी यह बखूबी प्रमाणित है कि विवादित भूमियां अपीलांटस के एकाकी खाते, कब्जे, काश्त की भूमियां है जिससे रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी भी रूप में नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की डिक्री दिनांक 22.03.1979, जमाबंदी संवत 2048 से 2051, 2033 से 2036, मिलान क्षेत्रफल साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18/07/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर